भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-943

दिनांक 27 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटर लगाने में देरी

943. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत स्मार्ट मीटरिंग के लागू होने की समीक्षा की है;

(ख) क्या यह सच है कि 20.33 करोड़ संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों के मुकाबले जनवरी 2026 तक केवल 5.44 करोड़ मीटर ही लगाए गए थे;

(ग) यदि हाँ, तो इस कमी के क्या कारण है;

(घ) राज्य-वार क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस कार्यक्रम को पूरा करने की संशोधित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) और 2.05 लाख फीडरों, कुल 20.33 करोड स्मार्ट मीटरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 5.73 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा अपनी राज्य योजनाओं/अन्य स्कीमों के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देश भर में 7.24 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

शुरूआत में निम्नलिखित कारणों से स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ देरी हुई:

i. स्मार्ट मीटरिंग को नई प्रौद्योगिकि पहल, परीक्षण बेड की स्थापना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए विक्रेताओं के नामांकन के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) का मॉडल जारी करने में प्रारंभिक विलंब।

ii. निविदा और कार्य अवार्ड करने में विलंब। कुछ यूटिलिटी को निविदा दस्तावेज जारी करने के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने में अधिक समय की आवश्यकता थी।
iii. यूटिलिटी द्वारा संविदा और प्रत्यक्ष डेबिट सुविधा (डीडीएफ) समझौते पर हस्ताक्षर करने में विलंब।
iv. कुछ यूटिलिटी को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
v. अपर्याप्त उपभोक्ता जुड़ाव अभ्यास।

इन चुनौतियों का समाधान करने और स्मार्ट मीटर की संस्थापना में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अन्य उपभोक्ताओं के लाभों के प्रदर्शन के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च भार वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है।
ii. मंत्रालय द्वारा बिलों में छूट के माध्यम से प्रीपेड मीटर संस्थापना के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देना; स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर कोई शास्ति नहीं; आसान किश्तों में पिछले बकाया की वसूली के लिए तंत्र; और स्मार्ट मीटर की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटर की स्थापना आदि सहित विभिन्न परामर्शिकाएं/मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की गई हैं।
iii. वितरण यूटिलिटी और उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाताओं (एएमआईएसपी) द्वारा पेम्फलेट, बैनरों का वितरण, अधिक भीडभाड़ वाले क्षेत्रों में जागरूकता कैनोपी और सोशल मीडिया आउटरीच सहित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम।
iv. बिजली की खपत को ट्रैक करने और आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कार्यों की निगरानी नोडल एजेंसियों, अर्थात् पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड के माध्यम से की जाती है, और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वितरण सुधार समिति, स्कीम के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों/वितरण यूटिलिटी और उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाताओं (एएमआईएसपी) के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप, कार्यों में तेजी आई है। स्कीम की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2028 है।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 943

अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्मार्ट मीटरिंग कार्य विवरण (दिनांक 30.06.2026 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल संस्वीकृत मीटर	कुल संस्थापित मीटर
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	84,835	-
2	आंध्र प्रदेश	59,19,344	32,79,798
3	अरुणाचल प्रदेश	2,98,250	84,899
4	असम	64,45,127	55,44,334
5	बिहार	26,07,153	23,02,379
6	छत्तीसगढ़	61,79,479	42,23,010
7	दिल्ली	3,521	-
8	गोवा	7,50,356	32,231
9	गुजरात	1,67,87,587	52,01,496
10	हिमाचल प्रदेश	28,41,908	10,06,060
11	जम्मू और कश्मीर	14,97,690	9,70,776
12	झारखंड	13,62,044	7,76,466
13	केरल	1,33,83,001	1,92,942
14	मध्य प्रदेश	1,34,29,206	41,90,181
15	महाराष्ट्र	2,40,04,866	1,29,73,051
16	मणिपुर	1,66,208	64,399
17	मेघालय	4,72,743	-
18	मिज़ोरम	2,92,081	61,220
19	नागालैंड	3,23,878	57,337
20	पुडुचेरी	4,07,052	95,481
21	पंजाब	89,81,414	14,662
22	राजस्थान	1,47,36,692	47,58,801
23	सिक्किम	1,48,542	98,359
24	तमिलनाडु	3,04,90,774	9,746
25	त्रिपुरा	5,62,870	3,00,387
26	उत्तर प्रदेश	2,85,26,730	97,53,753
27	उत्तराखंड	16,49,684	6,39,980
28	पश्चिम बंगाल	2,10,35,262	7,00,182
कुल		**20,33,88,297**	**5,73,31,930**

नोट: दिनांक 30.06.2026 तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 5.73 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और आरडीएसएस सहित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत देश भर में कुल 7.24 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं।